



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18703

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-29997 वर्ष 2024

मुकेश बिंद आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार तिवारी, राजेंद्र कुमार सिंह, संगम लाल केशरवानी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, संजय कुमार

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री संजय कुमार, राज्य के राज्य विधि अधिकारी सुश्री इफरा इस्लाम को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2023 के अपराध संख्या-272 में धारा 147, 148, 149, 504, 302 भ०द०वि०, थाना-खातासराय, जिला: जौनपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की कहानी:

4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सह-आरोपी व्यक्ति ने सूचनाकर्ता की दुकान पर उल्टी की थी, जिससे पक्षों के बीच विवाद हुआ, इस तरह, आवेदक ने दो भाइयों अजय प्रजापति और अंकित प्रजापति पर चाकू से हमला किया, जिससे 28.11.2023 को रात लगभग 08:30 बजे उनकी हत्या कर दी गई।

आवेदक की ओर से तर्क:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग छह घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. कुल छह आरोपी व्यक्ति हैं, लेकिन आवेदक को दो मृत व्यक्तियों को चाकू मारने की झूठी भूमिका सौंपी गई है।
7. सूचनाकर्ता के दूसरे बयान में, उसने आवेदक सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं।
8. सूचनाकर्ता ने अपनी जिरह के दौरान कहा है कि वह घटना के लगभग एक मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंच गया था, इसलिए वह चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता है।
9. उक्त विरोधाभासी बयान झूठे निहितार्थ की बात करते हैं और मामला धारा 304 भ्रष्टाचार से आगे नहीं जाता है क्योंकि यह अचानक उकसावे का मामला है।
10. जांच के दौरान, अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करने के लिए विवेचनाधिकारी द्वारा कोई सीसीटीवी फुटेज एकत्र नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष के मामले को छिपाने के लिए उक्त सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर रोक दिया गया है।
11. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 29.11.2023 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/प्रतिपक्षी की ओर से तर्क:

12. जमानत आवेदन का इस आधार पर पुरजोर विरोध किया गया है कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और आवेदक मुख्य आरोपी व्यक्ति है।

निष्कर्ष:

13. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 11.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, एक गवाह से पूछताछ की गई है और मुकदमा चल रहा है।



14. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक दोहरे हत्याकांड का मामला है और आवेदक मुख्य आरोपी व्यक्ति है, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे चल रहे हैं क्योंकि पहले से ही एक गवाह की जांच की जा चुकी है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है।

15. ज़मानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

16. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्दी निर्णीत किया जाए।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)